नरिंदर एस. चड्ढा और अन्य

बनाम

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 10836 /2014 आदि)

08 दिसंबर, 2014

[रंजन गोगोई और आर. एफ. नरीमन, न्यायाधिपतिगण]

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003:

धारा - 6 सपठित अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों - परिपत्र दिनांक 04.07.2011 - नगर निगम द्वारा जारी - मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 394 के तहत जारी लाइसेंस की सामान्य शर्तों में शर्तें जोड़ना - शर्तों की वैधता - अभिनिर्धारित किया गया: अधिनियम की धारा 6 सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने वाली शर्त बताती है - कोई भी शर्त जो नगर निगम द्वारा लाइसेंस प्राप्त परिसर में सिगरेट/तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाती है, एक और अपवाद जोड़ने के समान होगी, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है - शर्त संख्या 35 (सी) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे से बाहर होगी - हालांकि, शर्त संख्या 35 के उप-खंड (डी) और (ई) वैध हैं - सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 - नियम 4(3) और 3(1)(सी) - मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 - धारा 394.

धारा 3(एम) - 'बिक्री' - की परिभाषा - व्याख्या - अभिनिर्धारित किया गया: परिभाषा व्यापक होने के कारण, इसके दायरे में 'सेवा' शामिल नहीं होगी।

धारा 6 सपठित अधिनियम के तहत बनाए गए नियम - नोटिस दिनांक 5 जुलाई, 2011 - तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1939 की धारा 44 के तहत जारी - होटल/रेस्तरां मालिक को व्यक्तियों (नाबालिग नहीं) को तंबाकू प्रदान करने से रोकना और हुक्का बार को शैक्षणिक संस्थान की 300 फीट की परिधिमें प्रतिबंधित करना - की वैधता - अभिनिर्धारित किया : नोटिस अधिनियम और नियमों के दायरे से बाहर है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008- तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1939 - धारा 44

धारा 6 सपठित, अधिनियम के तहत बनाए गए नियम - आदेश दिनांक 14.07.2011 - बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 33 सपठित धारा 144 सीआरपीसी धारा के तहत जारी - हुक्का बार पर प्रतिबंध - की वैधता: अभिनिर्धारित किया : पुलिस अधिनियम के तहत 'विनियमित' शब्द में निषेध करने की शक्ति शामिल नहीं होगी - धारा 144 सी.आर.पी.सी. के तहत शक्ति। अस्थायी आदेश पारित करने के लिए है जो 2 महीने से अधिक नहीं चल सकता - इसलिए यह आदेश वैध नहीं है - बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 - धारा 33- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 144 - सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008- नियम 3 और 4 - की प्रयोज्यता - पर चर्चा की गई।

समानता - की प्रयोज्यता - 'समानता कानून का पालन करती है - यदि कानून स्पष्ट है, तो समानता की कोई भी धारणा उसका स्थान नहीं ले सकती।

शब्द और वाक्यांश- 'बिक्री' और 'सेवा' - का अर्थ - सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के संदर्भ में ।

न्यायालय ने अपीलो को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया

1.1 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 6, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को छोड़कर, सिगरेट और किसी भी अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देता है, और किसी भी शैक्षणिक संस्थान की 100 गज की परिधि के भीतर एक क्षेत्र में। यह स्पष्ट है कि कोई भी शर्त जो नगर निगम द्वारा लाइसेंस प्राप्त परिसर में सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाती है, एक और अपवाद जोड़ने के समान होगी जो कानून में अस्वीकार्य होगा। (पैरा 12) (836 - सी-डी)

1.2. यह कहना सही नहीं है कि तम्बाकू या तम्बाकू से संबंधित उत्पादों की बिक्री एक सेवा के समान होगी। वैचारिक रूप से यह कहना कठिन है कि "बिक्री" और "सेवा" विनिमेय वस्तुएँ हैं। अधिनियम के तहत "बिक्री" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का हस्तांतरण। यह स्पष्ट है कि "बिक्री" को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए, और ठीक से समझे जाने पर "सेवा" शामिल नहीं होगी जो कि वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण को नहीं बल्कि "सेवा" को संदर्भित करेगी जैसा कि इसके सामान्य अर्थ में समझा जाता है। [पैरा 12 और 13] [836-ई-जी]

नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल 1979 (1) एससीआर 557 - भरोसा किया गया।

1.3. वर्तमान मामले में, सिगरेट अधिनियम की धारा 3(एम) में निहित "बिक्री" की परिभाषा के मद्देनजर "बिक्री" और "सेवा" के बीच सुस्थापित अंतर लागू रहेगा। परिभाषा एक "साधन" और "शामिल" है। ऐसी परिभाषा एक विस्तृत परिभाषा है। इस

प्रकार, ऐसी परिभाषा में "सेवा" को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। [पैरा 13] [839-ई-जी]

पी. कासिलिंगम और अन्य बनाम पी.एस.जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और अन्य 1995 (2) एससीआर 1061 : 1995 पूरक (2) एससीसी 348 - भरोसा किया।

1.4. भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि 'बिक्री' को 'सेवा' माना जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 का नियम 4(3) अधिनियम की धारा 6 के दायरे से बाहर हो जाएगा क्योंकि यह सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा और होटल, रेस्तरां और हवाई अड्डों में धूम्रपान क्षेत्र में अन्य तम्बाकू उत्पाद, इस प्रकार, धारा 6 में पहले से ही शामिल दो अपवादों में एक और अपवाद जोडा गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह शर्त सिगरेट अधिनियम और नियमों के विपरीत होगी, ठीक से पढ़ें। [पैरा 13] [839-जी-एच]

1.5 आक्षेपित परिपत्र की शर्त संख्या 35(सी) अनिवार्य रूप से नियमों के नियम 4(3) को दोहराती है और फिर "या धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया कोई उपकरण" शब्द जोड़ती है। जोड़े गए शब्दों का प्रभाव यह है कि धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया उपकरण होने के कारण होटल, रेस्तरां या हवाई अड्डे द्वारा हुक्का उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि हुक्का धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई "अन्य चीजें" होंगी जो नियम 3(1)(सी) के तहत निषिद्ध होंगी। नियम 3 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के निषेध से संबंधित है, जो धारा 4 (मुख्य भाग) के संदर्भ में है जबकि नियम 4 है धारा 4 के परंतुक के संदर्भ में है। नियम 3 केवल वहीं लागू होगा जहां सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध है। दूसरी ओर, जहां धूम्रपान क्षेत्र या स्थान में धूम्रपान की अनुमति है, नियम 4 का उप-नियम (3) यह स्पष्ट करता है कि ऐसे स्थान का

उपयोग "धूम्रपान" के उद्देश्य से किया जा सकता है। नियम 2(एफ) के तहत उन शब्दों और अभिव्यक्तियों को, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 3 (एन) में निहित "धूम्रपान" की परिभाषा में पाइप, रैपर, या किसी अन्य उपकरण की सहायता से किसी भी रूप में तंबाकू का धूम्रपान शामिल है, जिसमें स्पष्ट रूप से हुक्का शामिल होगा। ऐसा होने पर, नियम 4(3) के तहत हुक्का के साथ "धूम्रपान" की अनुमति होगी और अभिव्यक्ति "किसी अन्य सेवा की अनुमति नहीं होगी" स्पष्ट रूप से हुक्का प्रदान करने के अलावा अन्य सेवाओं को संदर्भित करती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शर्त संख्या 35 के खंड (सी) में जोड़े गए शब्द स्पष्ट रूप से अधिनियम और नियमों के विपरीत हैं। नियम 3(1)(सी) और नियम 4(3) को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझना होगा। नियम 4(3) द्वारा स्पष्ट रूप से जो अनुमति दी गई है उसे नियम 3(1)(सी) द्वारा छीना हुआ नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 14, 15, 16, 17, 18 और 19] [840-ए-एच; 1841-ए-बी]

1.6. शर्त संख्या 35 के उप-खंड (डी) और (ई) इमारतों से संबंधित नियम हैं जो नगर निगम के दायरे में पूरी तरह से नगरपालिका का कार्य है। इन उप-खंडों में निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र के आयामों को कोई चुनौती नहीं है। जहां तक इन शर्तों का सवाल है, सभी मामलों में (डी) और (ई) में निर्धारित आयामों का पालन करना होगा। [पैरा 20] [841-सी, डी]

2. दिनांक 5 जुलाई, 2011 का नोटिस सिगरेट अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत है क्योंकि यह होटल/रेस्तरां के मालिक को ऐसे व्यक्तियों को तंबाकू उपलब्ध कराने से रोकता है जो नाबालिग नहीं हैं और ऐसे व्यक्तियों को सकारात्मक रूप से लोगों को तंबाकू पीने और निगलने से रोकने के लिए कहता है। इसके अलावा, तंबाकू की बिक्री केवल शैक्षणिक प्रतिष्ठान के 100 गज के दायरे में ही

प्रतिबंधित की जा सकती है, न कि 300 फीट के दायरे में, जैसा कि विवादित नोटिस में कहा गया है। [पैरा 23] [841-जी, एच; 842-ए]

3. आदेश दिनांक 14 जुलाई, 2011, कथित तौर पर बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 33 सपठित धारा 144 सीआरपीसी के साथ पढ़ा गया। होटलों और रेस्तरांओं को हुक्का की सुविधा प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया और हुक्का बारों को प्रतिबंधित कर दिया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 33 में निषेध करने की शक्ति शामिल होगी, जिसमें कहा गया है कि "विनियमित करें" शब्द में "प्रतिबंध" और यहां तक कि "निषेध" भी शामिल होगा। "विनियमित करें" शब्द में निषेध करने की शक्ति शामिल नहीं होगी। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 144 केवल अस्थायी आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है जो उसके बनने से 2 महीने से अधिक नहीं चल सकती। यदि धारा 144 लागू की जाती है, तो 14 जुलाई, 2011 का आदेश उसके 2 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून का संचालन करते समय इसमें समानता का ध्यान रखा जाना चाहिए। समानता का एक सिद्धांत यह है कि समात कानून का पालन करती है।' यदि कानून स्पष्ट है, तो समता की कोई भी धारणा उसका स्थान नहीं ले सकती। [पैरा 24, 25 और 26] [842-बी-सी; 843- बी-सी; 844-डी, ई]

हिम्मत लाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद 1973 (2) एससीआर 266: 1973 (1) एससीसी 227 - भरोसा किया गया।

गोदावत पान मसाला उत्पाद आई.पी. लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 2004 (3) पूरक एससीआर 239: (2004) 7 एससीसी 68; बाजीनाथ केडिया बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1970 (2) एससीआर 100: 1969 (3) एससीसी 838;

1989 (2) एससीआर 92: 1989 (2) एससीसी 541-उद्धृत।

केस कानून संदर्भ:

2004 (3) पूरक एससीआर 239 उद्धृत किया गया पैरा 3

1970 (2) एससीआर 100 उद्धृत किया गया पैरा 3

1989 (2) एससीआर 92 उद्धृत किया गया पैरा 3

1979 (1) एससीआर 557 उद्धृत किया गया पैरा 13

1995 (2) एससीआर 1061 उद्धृत किया गया पैरा 13

1973 (2) एससीआर 266 उद्धृत किया गया पैरा 24

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10836/ 2014

रिट याचिका (लॉजिंग) संख्या 1540 / 2011 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11-08-2011 से।

मय

सिविल अपील संख्या 10837-10839, 10840, 10841-10843, 10844-10845 और 10846 / 2014

पिंकी आनंद, एएसजी, चंद्र उदय सिंह, आर.पी. भट्ट, आर.एस. सूरी, साजन पूवैया, रोहन थवानी, हरदीप सिंह आनंद, आनंद डागा, वंदना सहगल, शिखा सचदेव, नवीन चावला, अर्पित माहेश्वरी, केतन पॉल, नकुल दीवान, मृगांक प्रभाकर, फ़राज़ मकबूल, इजाज मकबूल, प्रधुमन, गोहिल, विकास सिंह, सुश्री तरूणा सिंह गोहिल, जयकृति एस.जडेजा, सुन्दर खत्री, शीतल खत्री, राजेश गोयल, जे.जे. जेवियर, भार्गव वी. देसल, विशाल.चौधरी, शैलेन्द्र सैनी, सुश्री साधना संधू, डी.एस. महरा, सुषमा सूरी, राहुल मल्होत्रा, सिमर सूरी, जी. सूरी, चंचल कुमार गांगुली, अजय अग्रवाल, कनिका

गोम्बर, रुचिका, सुमित अत्री, प्रियदर्शी बनर्जी, प्रबल मेहरोत्रा, राजन नारायण, एम. योगेश कन्ना, संथा कुमारन, जे. जननी, ललित भसीन, नीना गुप्ता, मुदित शर्मा, परवेज ए. खान, शिरीन खजूरिया उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय आर.एफ. नरीमन, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। अनुमति प्रदान की गई।

2. मामलों के इस समूह में, हम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को लागू करने वाले विभिन्न शहरों के नगर निगमों से चिंतित हैं। पहले मामले में हमारे समक्ष, अर्थात् एसएलपी (सी) संख्या 30832 /2011 से उत्पन्न सिविल अपील, नरिंदर एस. चड्ढा और अन्य बनाम ग्रेटर मुंबई नगर निगम और अन्य, बॉम्बे उच्च न्यायालय के 11 अगस्त, 2011 के एक फैसले ने एक का निपटारा किया। रिट याचिका जिसमें कई व्यापक तर्कों का आग्रह किया गया था, और अंततः निर्णय लिया गया कि 4 जुलाई, 2011 के आक्षेपित परिपत्र ने केवल सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम को लागू किया, 2003 (इसके बाद इसे "सिगरेट अधिनियम" के रूप में जाना जाता है) और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 (इसके बाद इसे "नियम" के रूप में जाना जाता है) और उक्त परिपत्र को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। इसी प्रकार, चेन्नई और अहमदाबाद से उत्पन्न मामलों में, समान परिपत्र/नोटिस चुनौती के अधीन थे और एसएलपी (सी) संख्या 19247-19248 / 2012 (तापमान आदि बनाम उप पुलिस आयुक्त, जोन -1 अहमदाबाद और अन्य) और एसएलपी (सी) संख्या 8143/2014 रोबस्टा (हाइग्लो कैफे) बनाम चेन्नई के आयुक्त निगम और अन्य), में दोनो आक्षेपित निर्णयों में, गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों ने 11 अगस्त, 2011 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले

का पालन किया और, परिणामस्वरूप, उनके समक्ष दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन्हीं तीन निर्णयों में से अपील को प्राथमिकता दी गई है।

3. एसएलपी (सी) संख्या 30832 /2011 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री सी.यू. सिंह ने सिगरेट अधिनियम की उत्पत्ति और इस तथ्य पर व्यापक तर्क दिए कि यह प्रविष्टि 52 सूची के तहत बनाया गया कानून था। मैंने भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 33 सूची III पढ़ी। उन्होंने गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट्स आई.पी. लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2004) 7 एससीसी 68 का हवाला दिया, विशेष रूप से अंतिम पैराग्राफ 77 (6) जिसमें कहा गया है कि सिगरेट अधिनियम केवल तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित एक विशेष अधिनियम है, जबकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 यह सामान्य है और इसलिए इसे सिगरेट अधिनियम के अधीन होना चाहिए। उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए बाजीनाथ केडिया बनाम बिहार राज्य और अन्य, (1969) 3 एससीसी 838 का भी हवाला दिया कि एक बार सिगरेट अधिनियम की धारा 2 के तहत अपेक्षित घोषणा हो जाने के बाद, राज्य सरकार को सिगरेट अधिनियम द्वारा कब्ज़ा किया गया क्षेत्र में कानून बनाने की किसी भी शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। उन्होंने पलुरु रामकृष्णैया और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1989) 2 एससीसी 541 का भी हवाला दिया। इस प्रस्ताव के लिए कि कार्यकारी निर्देश और शर्तें क़ानून या वैधानिक नियमों के विपरीत नहीं हो सकती हैं। अंततः, हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि आक्षेपित परिपत्र की तीन विशेषताएं थीं जिन्हें सिगरेट अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों के दायरे से बाहर होने के कारण रद्द करने की आवश्यकता थी।

4. पहली शर्त किसी रेस्तरां के लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी भी रूप में तंबाकू या तंबाकू से संबंधित उत्पाद रखने या बेचने या प्रदान करने की

अनुमति नहीं देती है। उनके अनुसार, यह सिगरेट अधिनियम की धारा 6 और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत था। इसके अलावा, धूम्रपान क्षेत्र जिनका उपयोग केवल धूम्रपान के उद्देश्य के लिए किया जाना है, वहां धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया कोई उपकरण नहीं हो सकता है। उनके सम्मानजनक निवेदन में यह हुक्का पीने पर प्रतिबंध लगाता है और नियमों के साथ पढ़े जाने वाले सिगरेट अधिनियम के दायरे से भी बाहर है। इसके अलावा, शर्त संख्या 35 के पैराग्राफ (डी) और (ई) में निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र के आयाम भी ऐसी शर्तें थीं जो सिगरेट अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में नहीं पाई गईं और इसलिए, अधिकारातीत थीं। अन्य अपीलकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित अन्य विद्वान वकीलों ने श्री सिंह के तर्कों को अपनाया।

5. ग्रेटर मुंबई नगर निगम की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.पी. भट्ट ने हमारे सामने तर्क दिया कि सिगरेट अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों को सही ढंग से पढ़ने पर, अतिरिक्त शर्तों का उद्देश्य सिगरेट अधिनियम और सिगरेट अधिनियम को लागू करना था। नियम और अधिनियम और नियमों की वास्तविक संरचना में वास्तव में जो पहले से मौजूद है उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। यूनियन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मिस पिंकी आनंद ने मोटे तौर पर श्री भट्ट के रुख का समर्थन किया।

6. प्रतिद्वंद्वी विवादों को देखते हुए, इस मामले में जिस बिंदु पर निर्णय लेने की आवश्यकता है वह एक संकीर्ण दिशा में है। हमें मूल रूप से यह देखना है कि क्या 4 जुलाई, 2011 का आक्षेपित परिपत्र सिगरेट अधिनियम और नियमों के बाहर जाता है या केवल उक्त अधिनियम और नियमों को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू करने का प्रयास करता है।

7. इस मामले के निर्धारण के लिए, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक होगा। सबसे पहले, सिगरेट अधिनियम-

"धारा 3- परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(के) "उत्पादन" में, अपनी व्याकरणिक विविधताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ, सिगरेट, सिगार, चुरूट, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू, पाइप तम्बाकू, हुक्का तम्बाकू, चबाने वाला तम्बाकू, पान मसाला या कोई भी बनाना शामिल है, या किसी भी अन्य चबाने वाली सामग्री का निर्माण शामिल है जिसमें तम्बाकू एक घटक (चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो) या सुंघनी हो और इसमें शामिल होगा -

(।) कंटेनरों की पैकिंग, लेबलिंग या पुनः लेबलिंग;

(।।) थोक पैकेजों से खुदरा पैकेजों में पुनः पैकिंग; और

(iii) तंबाकू उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए कोई अन्य तरीका अपनाना;

(1) "सार्वजनिक स्थान" का अर्थ है कोई भी स्थान जहां तक जनता की पहुंच है, चाहे अधिकार के रूप में या नहीं, और इसमें सभागार, अस्पताल भवन, रेलवे प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र, रेस्तरां, सार्वजनिक कार्यालय, अदालत भवन, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय सार्वजनिक वाहन और ऐसी ही अन्य वस्तुएं जिन पर आम जनता आती है शामिल हैं, लेकिन इसमें कोई खुली जगह शामिल नहीं है;

(एम) "बिक्री", अपनी व्याकरणिक विविधताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल में संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण, चाहे नकद के लिए या क्रेडिट पर, या विनिमय के माध्यम से, और चाहे थोक या खुदरा, का मतलब है, और इसमें एक बिक्री विलेख भी शामिल है, और बिक्री के लिए प्रस्ताव और बिक्री के लिए एक्सपोजर;

(एन) "धूम्रपान" का अर्थ है किसी भी रूप में तम्बाकू का धूम्रपान करना चाहे सिगरेट, सिगार, बीड़ी के रूप में या अन्यथा पाइप, रैपर या किसी अन्य उपकरण की सहायता से:

(पी) "तंबाकू उत्पाद" का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट उत्पाद हैं।

"अनुसूची

[धारा 3(पी) देखें)

1. सिगरेट

2. सिगार

3. चेरुटस

4. बीड़ी

5. सिगरेट तम्बाकू, पाइप तम्बाकू और हुक्का तम्बाकू

6. तम्बाकू चबाना

7. सूंघना

8. पान मसाला या कोई भी चबाने वाली सामग्री जिसमें तम्बाकू एक घटक के रूप में हो (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)।

9. गुटका

10. तम्बाकू युक्त टूथ पाउडर।"

"धारा 4. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध.- कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा:

बशर्ते कि तीस कमरों वाले होटल या तीस व्यक्तियों या अधिक के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां और हवाई अड्डों में धूम्रपान क्षेत्र या स्थान के लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है।

धारा 6. अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और विशेष क्षेत्रों में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध - कोई भी व्यक्ति सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद को न तो बेचेगा, न बिक्री की पेशकश करेगा, न ही बिक्री की अनुमति देगा-

(ए) किसी भी व्यक्ति को जो अठारह वर्ष से कम उम्र का है, और

(बी) किसी शैक्षणिक संस्थान के एक सौ गज के दायरे में किसी क्षेत्र में।

धारा 21. कुछ स्थानों पर धूम्रपान करने पर सजा.- (1) जो कोई भी धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।

(2) इस धारा के तहत एक अपराध समझौता योग्य होगा और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में सारांश परीक्षणों के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार संक्षेप में विचार किया जाएगा।

धारा 24. कुछ स्थानों पर या अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए सजा - (1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह इस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो सौ रुपये तक बढ़ सकता है।

(2) इस धारा के तहत सभी अपराध समझौता योग्य होंगे और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में सारांश परीक्षणों के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार संक्षेप में मुकदमा चलाया जाएगा।

धारा 31. केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्: -

(ए) उस फॉर्म और तरीके को निर्दिष्ट करें जिसमें धारा 3 के खंड (ओ) के तहत सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के संबंध में चेतावनी दी जाएगी;

(बी) धारा 7 की उपधारा (5) के प्रावधान के तहत सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों में अधिकतम अनुमेय निकोटीन और टार सामग्री निर्दिष्ट करें;

(सी) उस तरीके को निर्दिष्ट करें जिसमें धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर निर्दिष्ट चेतावनी अंकित की जाएगी।

(डी) धारा 10 के तहत निर्दिष्ट चेतावनी में उपयोग किए जाने वाले अक्षर या अंक या दोनों की ऊंचाई निर्दिष्ट करें या सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों में निकोटीन और टार सामग्री को इंगित करें;

(ई) उस तरीके का प्रावधान करें जिसमें किसी परिसर में प्रवेश और तलाशी की जानी है और जिस तरीके से सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के किसी भी पैकेज की जब्ती की जाएगी और जिस तरीके से जब्ती सूची तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को सौंप दिया गया जिसकी हिरासत से सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का कोई पैकेज जब्त किया गया है;

(एफ) किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान करना, जिसे निर्धारित किया जाना आवश्यक है, या किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम और धारा 30 के तहत बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी। एक सत्र या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल किया जा सकता है, और यदि, सत्र के तुरंत बाद या उपरोक्त क्रमिक सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हैं या दोनों सदन इस पर सहमत होते हैं नियम या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए, नियम या अधिसूचना उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या कोई प्रभाव नहीं डालेगी, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दीकरण उस नियम या अधिसूचना के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 भी प्रासंगिक हैं।

"2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(डी) अधिनियम की धारा 3(1) में परिभाषित "सार्वजनिक स्थान" में कार्यस्थल, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी शामिल होंगे।

(ई) अधिनियम की धारा 4 के परंतुक में उल्लिखित "धूम्रपान क्षेत्र या स्थान" का अर्थ एक अलग हवादार धूम्रपान कक्ष होगा जो-

(i) भौतिक रूप से अलग है और चारों तरफ पूरी ऊंचाई वाली दीवारों से घिरा हुआ है;

(ii) एक प्रवेश द्वार है जिसमें स्वचालित रूप से बंद होने वाला दरवाज़ा है जो सामान्यतः निकट स्थिति में रखा जाता है,

(iii) एक वायु प्रवाह प्रणाली है, जैसा कि अनुसूची I में निर्दिष्ट है,

(iv) भवन के शेष भाग की तुलना में नकारात्मक वायुदाब है।

(एफ) यहां उपयोग किए गए और इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

3. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध - (1) किसी सार्वजनिक स्थान के मालिक, मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या मामलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि:

(ए) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर (अपने अधिकार क्षेत्र/निहित) धूम्रपान नहीं करता है।

(बी) अनुसूची II में निर्दिष्ट बोर्ड को सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है, यदि ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वार और अंदर विशिष्ट स्थान पर एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं। यदि एक से अधिक मंजिलें हैं, तो प्रत्येक मंजिल पर सीढ़ियाँ और लिफ्ट के प्रवेश द्वार भी शामिल हैं।

(सी) सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई कोई ऐशट्रे, माचिस, लाइटर या अन्य चीजें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

(2) किसी सार्वजनिक स्थान के मालिक, मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या मामलों के प्रभारी को सूचित करना होगा और उस व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा, जिनके पास किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की जा सकती है जो किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए देखता है।

(3) यदि किसी सार्वजनिक स्थान का मालिक, मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या अधिकृत अधिकारी ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो मालिक, मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या अधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के बराबर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

4. होटल, रेस्तरां और हवाई अड्डे - (1) तीस या अधिक कमरों वाले होटल या तीस व्यक्तियों या अधिक की बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां के मालिक, 1 मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या मामलों के प्रभारी और हवाई अड्डे के प्रबंधक धूम्रपान क्षेत्र की व्यवस्था कर सकते हैं या स्थान जैसा कि नियम 2(ई) में परिभाषित है।

(2) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान होटल, रेस्तरां और हवाई अड्डे के प्रवेश या निकास पर स्थापित नहीं किया जाएगा और इसे अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में, जैसा लागू हो, "धूम्रपान क्षेत्र" के रूप में विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा।

(3) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान का उपयोग केवल धूम्रपान के उद्देश्य से किया जाएगा और किसी अन्य सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) तीस या अधिक कमरों वाले होटल के मालिक, मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या मामलों के प्रभारी, निम्नानुसार निर्धारित तरीके से अलग धूम्रपान कक्ष नामित कर सकते हैं:

(ए) इस प्रकार नामित सभी कमरे, जैसा भी मामला हो, एक ही मंजिल या विंग में एक अलग अनुभाग बनाएंगे। एक से अधिक मंजिल/विंगो के मामले में कमरा, जैसी भी स्थिति हो, एक मंजिल/विंग में होगा।

(बी) ऐसे सभी कमरों को अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में, जैसा लागू हो, विशिष्ट रूप से "धूम्रपान कक्ष" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(सी) ऐसे कमरे से धुआं बाहर हवादार होना चाहिए और लॉबी और गलियारों सहित होटल के धूम्रपान रहित क्षेत्रों में घुसपैठ/प्रवेश नहीं करेगा।"

8. सिगरेट अधिनियम वास्तव में विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में था और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह एक

ऐसा कानून भी है जो संविधान के अनुच्छेद 47 को लागू करने का प्रयास करता है जो इस प्रकार है:-

"47. पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य - राज्य अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को कर्तव्य के रूप में मानेगा। अपने प्राथमिक कर्तव्यों में और, विशेष रूप से, राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।"

9. यह सब 5 मई, 2011 को एक जनहित याचिका के आदेश से शुरू हुआ, जिसकी संख्या 111/2011 है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने नगर निगम को मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 479 के तहत लाइसेंस जारी करते समय नियम और शर्तें शामिल करने के लिए कहा था ताकि सिगरेट अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया जा सके। इसे छह सप्ताह की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया गया था। यह इस निर्देश का परिणाम है कि 4 जुलाई, 2011 को आक्षेपित परिपत्र जारी किया गया था जिसमें मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 394 के तहत जारी लाइसेंस की सामान्य शर्तों में शर्तें 35 से 37 जोड़ी जानी थीं। ये शर्तें इस प्रकार हैं:

"शर्त संख्या 35: लाइसेंसधारी तंबाकू या तंबाकू से संबंधित किसी भी उत्पाद को किसी भी रूप में, चाहे वह सिगरेट, सिगार, बीड़ी के रूप में हो या पाइप, रैपर या कोई अन्य उपकरण लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी भी तरह से, न तो रखेगा, न ही रखने, बेचने या उपलब्ध कराने की अनुमति देगा।

आयुक्त तीस व्यक्तियों या अधिक की बैठने की क्षमता वाले भोजनालय में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) की धारा 4 के अनुसार धूम्रपान क्षेत्र की अनुमति दे सकते हैं।

ए) धूम्रपान क्षेत्र का मतलब अलग से हवादार धूम्रपान कक्ष होगा:

I. भौतिक रूप से अलग है और चारों तरफ पूरी ऊंचाई की दीवारों से घिरा हुआ है।

II. इसमें एक प्रवेश द्वार है जिसमें स्वचालित रूप से बंद होने वाले दरवाज़े हैं जो सामान्यतः निकट स्थिति में रखे जाते हैं।

iii. इसमें एक वायु प्रवाह प्रणाली है

ए - यह सीधे बाहर की ओर समाप्त हो जाता है और इमारत के अन्य हिस्सों के लिए आपूर्ति हवा में वापस नहीं मिल जाता है।

बी - यह एक गैर-पुनरावर्तन निकास वेंटिलेशन प्रणाली या एक वायु सफाई प्रणाली, या दोनों के संयोजन से सुसज्जित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवा केवल इस तरीके से निर्वहन करता है कि इसे धूम्रपान क्षेत्र और गैर धूम्रपान क्षेत्र के स्थान पर पुन: प्रसारित या स्थानांतरित न किया जाए। -.

iv. भवन के शेष भाग की तुलना में इसमें नकारात्मक वायुदाब है।

बी) धूम्रपान क्षेत्र भोजनालय के प्रवेश द्वार या निकास पर स्थापित नहीं किया जाएगा और सीओटीपीए के अनुसार अंग्रेजी और मराठी में "धूम्रपान क्षेत्र" के रूप में विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा।

सी) धूम्रपान क्षेत्र का उपयोग केवल धूम्रपान के उद्देश्य से किया जाएगा और कोई अन्य सेवा या धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया कोई उपकरण प्रदान नहीं किया जाएगा।

घ) धूम्रपान क्षेत्र 100 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।

कमरे के प्रत्येक तरफ फीट की दूरी 8 फीट से कम नहीं होगी और कमरे की ऊंचाई 9 फीट से कम नहीं होगी। धूम्रपान क्षेत्र को भोजनालय के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।

ई) धूम्रपान कक्ष का कुल क्षेत्रफल भोजनालय के कुल लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र के 30% से अधिक नहीं होगा।

शर्त संख्या 36 : 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शर्त संख्या 37 : भोजनालय के मालिक, मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक को सूचित करना होगा और उस व्यक्ति का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा, जिससे निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत की जा सकती है जो किसी भी व्यिक्त को कोटपा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये देखता है।

लाइसेंसधारी उपरोक्त शर्तों का पालन करेगा और किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द/निलंबित/निरस्त किया जाएगा।

भोजनालय के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में धूम्रपान क्षेत्र को शामिल करने के संबंध में प्रस्ताव संबंधित डीईएचओ द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग और लाइसेंस विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को एमएमसी अधिनियम की धारा 394 के तहत उपरोक्त उल्लिखित लाइसेंस की सामान्य शर्तें 35

से 37 तक सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया जाता है। इन शर्तों को सभी मौजूदा और नए ईटिंग हाउस लाइसेंसों में शामिल किया जाना चाहिए।

सभी मौजूदा ईटिंग हाउस लाइसेंसधारियों को एक नोटिस जारी किया जा सकता है जिसमें शर्त नं. 35 से 37 को मौजूदा लाइसेंस में शामिल माना जाएगा और इसका कोई भी उल्लंघन उक्त लाइसेंस को निलंबित/निरस्त कर देगा।

स्वास्थ्य विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि जिन भोजनालयों के खिलाफ हुक्का परोसने की शिकायतें मिलती हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए।"

10. नगर निगम की ओर से उपस्थित श्री भट्ट ने आग्रह किया कि यह परिपत्र मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 394 (1) (डी) के तहत जारी किया जाना मान्य होगा, जो इस प्रकार है: -

"394, कुछ वस्तुओं या जानवरों को नहीं रखा जाना चाहिए और कुछ व्यापार, प्रक्रियाएं और संचालन बिना लाइसेंस के नहीं किए जाने चाहिए; और खतरे या उपद्रव को रोकने के लिए जब्त की जाने वाली चीजों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, आदि।

(1) आयुक्त द्वारा दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के तहत और उनके अनुसार छोड़कर, कोई भी व्यक्ति-

(डी) किसी भी वस्तु या जानवर को, जो आयुक्त की राय में, जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक है, या किसी भी तरह से उपद्रव पैदा करने की संभावना है, किसी भी परिसर में या उसके ऊपर रखें या उपयोग करें, या रखने या रखने या उपयोग करने की अनुमति दें। इसकी प्रकृति या उस तरीके के कारण, या जिन शर्तों के तहत,

11. श्री सी.यू. सिंह के अनुसार, शर्त संख्या 35 का पहला पैराग्राफ ही खराब है क्योंकि यह लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में तंबाकू या तंबाकू से संबंधित कोई

भी उत्पाद रखने या बेचने या प्रदान करने की अनुमति नहीं देता है। हमें इस समर्पण में काफी ताकत दिखती है।

12. यह ध्यान दिया जाएगा कि सिगरेट अधिनियम की धारा 6 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को छोड़कर और किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे के क्षेत्र में सिगरेट और किसी भी अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देती है। यह स्पष्ट है कि कोई भी शर्त जो नगर निगम द्वारा लाइसेंस प्राप्त परिसर में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाती है, एक और अपवाद जोड़ने के समान होगी जो कानून में अस्वीकार्य होगा। श्री भट्ट ने नियम 4(3) के संदर्भ में इस शर्त को बरकरार रखने की मांग की, क्योंकि उनके निवेदन में, धूम्रपान क्षेत्र में "किसी अन्य सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी"। उनके अनुसार, तम्बाकू या तम्बाकू से संबंधित उत्पादों की बिक्री एक ऐसी सेवा के समान होगी जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

13. हम इस तर्क को एक से अधिक कारणों से स्वीकार नहीं कर सकते। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैचारिक रूप से यह कहना मुश्किल है कि "बिक्री" और "सेवा" विनिमेय वस्तुएं हैं। अधिनियम के तहत "बिक्री" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का हस्तांतरण। यह स्पष्ट है कि "बिक्री" को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए, और ठीक से समझे जाने पर "सेवा" शामिल नहीं होगी जो कि वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण को नहीं बल्कि "सेवा" को संदर्भित करेगी जैसा कि इसके सामान्य अर्थ में समझा जाता है। नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल [1979] 1 एस.सी.आर. 557, के मामले में भोजन की बिक्री और होटल और रेस्तरां में सेवाओं के प्रावधान के बीच अंतर किया गया था। न्यायालय ने कहा:-

"होटल व्यवसायी की तरह, एक रेस्तरां मालिक भोजन की आपूर्ति के अलावा कई सेवाएँ प्रदान करता है। वह फर्नीचर और साज-सज्जा, लिनेन, क्रॉकरी और कटलरी प्रदान करता है, और आज के खाने के स्थानों में वह संगीत और फ्लोर डांसिंग और कुछ मामलों में फ्लोर शो के लिए विशेष रूप से प्रदान किया गया क्षेत्र जोड़ सकता है। अंग्रेजी कानून द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अमेरिकी धरती पर स्वीकृति मिली, और कुछ राज्यों में शुरू में कुछ अपमानजनक असहमति के बाद यह बहुत जल्द ही कानून के सामान्य दृष्टिकोण के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया। अमेरिकी न्यायशास्त्र का पहला संस्करण [वॉल्यूम 46, पृ. 207, पैरा 13] उस संबंध में कानून के बयान को सामने रखता है, लेकिन हम इलेक्ट्रा बी. मेरिल बनाम जेम्स डब्लू. हॉडसन [1915 बी एलआरए 481] मामले पर जा सकते हैं, जहां से बयान लिया गया है। अभिनिर्धारित करते हुये , न्यायालय ने टिप्प्णी की कि ग्राहकों को भोजन या पेय की आपूर्ति माल की बिक्री के चरित्र में शामिल नहीं है।

"इसका सार ग्राहक की इच्छाओं की संतुष्टि के लिए उसके आदेश पर रखे गए भोजन या पेय की सामान्य संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक समझौता नहीं है, या वास्तव में उसकी भूख या प्यास को संतुष्ट करने की प्रक्रिया में उसके द्वारा विनियोजित किया गया है। ग्राहक उसके सामने रखे गए भोजन का, या उस हिस्से का, जो उसके उपयोग के लिए बनाया गया है, या उस हिस्से का मालिक नहीं बन जाता है, जो उसकी प्लेट में या उसके आसपास रखे साइड डिश में जगह पाता है। उसका कोई निर्दिष्ट हिस्सा नहीं बनता है । उसे खाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, और बस इतना ही। बिना खाया हुआ भोजन उसका नहीं है। वह इसके साथ जो चाहे वह नहीं कर सकता। जो कुछ उसके सामने रखा जाता है या उसके आदेश पर रखा जाता है, वह उसे उसकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया जाता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। वह उन जरूरतों को पूरा कर सकता है; लेकिन उसे वहां रुकना

होगा। वह अपनी खुशी के लिए उपभोग न किए गए हिस्सों को दूसरों को नहीं दे सकता है, या ऐसे हिस्सों को अपने साथ नहीं ले जा सकता है। लेन-देन का असली सार मानवीय आवश्यकता या इच्छा की संतुष्टि में सेवा है -शारीरिक इच्छा की पूर्ति। इस सेवा या मंत्रालय की एक आवश्यक घटना आवश्यक भोजन की खपत है। इस उपभोग में विनाश शामिल है, और जो उपभोग किया जाता है उसमें से कुछ भी नहीं बचता है जिसके साथ संपत्ति के अधिकार को संलग्न करने के लिए कहा जा सके। उपभोग से पहले शीर्षक पास नहीं होता; उपभोग के बाद उपाधि का विषय बनने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ग्राहक जो भुगतान करता है वह विनाश की प्रक्रिया द्वारा अपनी भूख को संतुष्ट करने का अधिकार है। इस प्रकार वह जो भुगतान करता है उसमें भोजन की कीमत से भी अधिक शामिल होता है। इसमें वह सब शामिल है जो सेवा की अवधारणा में शामिल है, और इसके साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सेवा का कोई छोटा कारक भी शामिल नहीं है। यह प्रदान की गई सेवा में एक कारक के रूप में लागू भोजन में सामान्य संपत्ति के हस्तांतरण पर विचार नहीं करता है।"

इसके परिणामस्वरूप संविधान में 46 वां संशोधन अधिनियम आया जिसके द्वारा अनुच्छेद 366 (29 ए) जोड़ा गया। अनुच्छेद 366 (29 ए) इस प्रकार है:-

"अनुच्छेद 366 (29-ए) "माल की बिक्री या खरीद पर कर" में शामिल है-

(ए) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी सामान में संपत्ति के अनुबंध के अनुसरण के अलावा हस्तांतरण पर कर;

(बी) कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में);

(सी) किराया-खरीद या किस्तों द्वारा भुगतान की किसी भी प्रणाली पर माल की डिलीवरी पर कर;

(डी) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए (चाहे निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं) किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर कर;

(ई) किसी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल की आपूर्ति पर कर;

(एफ) किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में या किसी भी अन्य तरीके से, भोजन या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या किसी पेय (चाहे या नशीला) की आपूर्ति पर कर, जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान के लिए है,

और किसी भी सामान के ऐसे हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा उन सामानों की बिक्री और उस व्यक्ति द्वारा उन सामानों की खरीद माना जाएगा जिसे ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है;

"

यह देखा जाएगा कि वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर की परिभाषा को विशेष रूप से उप-खंड (एफ) द्वारा कृत्रिम रूप से विस्तारित किया गया है, जिसके साथ हम चिंतित हैं, जहां "बिक्री" और "सेवा" के बीच अंतर किया गया है। वर्तमान मामले में, धारा 3(एम) में निहित "बिक्री" की परिभाषा के मद्देनजर "बिक्री" और "सेवा" के बीच सुस्थापित अंतर लागू रहेगा। यह देखा जाएगा कि परिभाषा एक 'साधन' है और इसमें 'एक भी शामिल है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि ऐसी परिभाषा एक विस्तृत परिभाषा है (देखें: पी. कासिलिंगम और अन्य बनाम पी.एस.जी. कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और अन्य 1995 सप्लिमेंट (2) एससीसी 348 पैरा 19 पर)। इस प्रकार,

ऐसी परिभाषा में "सेवा" को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा, अगर हम श्री भट्ट के तर्क को स्वीकार भी कर लें, तो भी नियम 4(3) अधिनियम की धारा 6 के दायरे से बाहर हो जाएगा क्योंकि यह बिक्री पर रोक लगा देगा। होटल, रेस्तरां और हवाई अड्डों में धूम्रपान क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों का, इस प्रकार, धारा 6 में पहले से ही शामिल दो अपवादों में एक और अपवाद जोड़ा गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह स्थिति सिगरेट अधिनियम के दायरे से बाहर होगी और नियम ठीक से पढ़ें।

14. यह देखा जाएगा कि आक्षेपित परिपत्र की शर्त संख्या 35 (सी) अनिवार्य रूप से उक्त नियमों के नियम 4 (3) को पुन: पेश करती है और फिर "या धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया कोई उपकरण" शब्द जोड़ती है। जोड़े गए शब्दों का प्रभाव यह है कि धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया उपकरण होने के कारण होटल, रेस्तरां या हवाई अड्डे द्वारा हुक्का उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

15. श्री भट्ट ने नियम 3(1)(सी) से जोड़े गए शब्दों के लिए शक्ति प्राप्त करने की मांग की और तर्क दिया कि हुक्का धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई "अन्य चीजें" होंगी जो नियम 3(1)(सी) के तहत निषिद्ध होंगी। .

16. हमें इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है क्योंकि, अगर ध्यान से पढ़ा जाए, तो नियम 3 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के निषेध से संबंधित है, जो धारा 4 (मुख्य भाग) के लिए संदर्भित है, जबकि नियम 4 धारा 4 के परंतुक के लिए संदर्भित है। नियम 3 केवल वहीं लागू होगा जहां सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध है, जैसा कि नियम 3(1)(ए) से स्पष्ट है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थान के मालिक, मालिक आदि पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति उस स्थान पर धूम्रपान न करे। यह उस संदर्भ में है कि ऐशट्रे, माचिस, लाइटर और

धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई अन्य चीजें सार्वजनिक स्थानों पर प्रदान नहीं की जानी चाहिए जहां धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

17. दूसरी ओर, जहां धूम्रपान क्षेत्र या स्थान पर धूम्रपान की अनुमति है, नियम 4 का उप-नियम (3) यह स्पष्ट करता है कि ऐसे स्थान का उपयोग "धूम्रपान" के उद्देश्य से किया जा सकता है। नियम 2(एफ) के तहत उन शब्दों और अभिव्यक्तियों को, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

18. यह हमें अधिनियम की धारा 3(एन) में निहित "धूम्रपान" की परिभाषा पर ले जाता है जिसे यहां ऊपर दिया गया है। इस परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें पाइप, रैपर या किसी अन्य की सहायता से किसी भी रूप में तंबाकू का धूम्रपान शामिल है। उपकरण, जिसमें स्पष्ट रूप से हुक्का शामिल होगा। ऐसी स्थिति में, नियम 4(3) के तहत हुक्का के साथ "धूम्रपान" की अनुमति होगी और अभिव्यक्ति "किसी अन्य सेवा की अनुमति नहीं होगी" स्पष्ट रूप से हुक्का प्रदान करने के अलावा अन्य सेवाओं को संदर्भित करती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शर्त संख्या 35 के खंड (सी) में जोड़े गए शब्द स्पष्ट रूप से अधिनियम और नियमों के विपरीत हैं।

19. दूसरे नजरिए से देखें तो नियम 3(1)(सी) और नियम 4(3) को सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझा जाना चाहिए। यदि उत्तरदाताओं के तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो नियम 4(3) को निरर्थक बना दिया जाएगा। नियम 4(3) द्वारा स्पष्ट रूप से जो अनुमति दी गई है उसे नियम 3(1)(सी) द्वारा छीना हुआ नहीं कहा जा सकता है। इस कारण भी श्री भट्ट की दलील को ठुकराना होगा।

20. शर्त संख्या 35 के उप-खंड (डी) और (ई) को श्री भट्ट ने इमारतों से संबंधित नियम बताया था, जो कि नगर निगम के दायरे में एक विशुद्ध रूप से नगरपालिका

कार्य है। इन उप-खंडों में निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र के आयामों को कोई चुनौती नहीं है। जहां तक इन शर्तों का सवाल है, हम श्री भट्ट से सहमत हैं और (डी) और (ई) में निर्धारित आयामों का सभी मामलों में पालन करना होगा।

21. चूँकि हम इस मामले का निर्णय केवल संकीर्ण आधार पर कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय गलत है जब उसका मानना है कि वर्तमान मामले में नगर निगम ने जो कुछ भी किया वह सिगरेट अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना था, हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है अन्य पहलू जो हमारे सामने रखे गए थे।

22. इसलिए, हम बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं और शर्त संख्या 35 के पहले पैराग्राफ और शर्त संख्या 35 के (सी) में जोड़े गए शब्दों को हटा देते हैं। अपील उस हद तक सफल होती है।

23. मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में 5 जुलाई, 2011 के एक नोटिस को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। नोटिस स्पष्ट रूप से सिगरेट अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत है क्योंकि यह होटल/रेस्तरां के मालिक को ऐसे व्यक्तियों को तम्बाकू प्रदान करने से रोकता है जो नाबालिग नहीं हैं और ऐसे व्यक्तियों से लोगों को तम्बाकू चूसने और निगलने से रोकने के लिए सकारात्मक रूप से कहता है। इसके अलावा तम्बाकू की बिक्री केवल शैक्षणिक प्रतिष्ठान के 100 गज के दायरे में ही प्रतिबंधित की जा सकती है, न कि 300 फीट के दायरे में, जैसा कि विवादित नोटिस में कहा गया है। यह निर्णय भी खारिज किये जाने लायक है।

24. गुजरात उच्च न्यायालय के मामले में, 14 जुलाई, 2011 के एक आदेश में, कथित तौर पर बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 33 सपठित दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 पढ़ा गया, जिसमें होटलों और रेस्तरांओं को हुक्का की सुविधा प्रदान करने से

प्रतिबंधित कर दिया गया और हुक्का बार प्रतिबंधित कर दिया गया। एक लंबे फैसले के दौरान, खंडपी ने धूम्रपान और आम तौर पर तंबाकू उत्पादों के बुरे प्रभावों का उल्लेख किया और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 33 में निषेध करने की शक्ति शामिल होगी, जिसमें कहा गया है कि "विनियमन" शब्द " इसमें "प्रतिबंध" और यहां तक कि "निषेध" भी शामिल होगा। इस प्रस्ताव के लिए कई प्राधिकरणों को बताया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी एक अधिकार छूट गया था। हिम्मत-लाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद, (1973) 1 एससीसी 227 में, सुप्रीम कोर्ट को "रेगुलेट" शब्द का अर्थ उसी अधिनियम के तहत करना पड़ा यानी बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 33 में। न्यायालय ने कहा:

"15. विद्वान वकील द्वारा उठाए गए पहले बिंदु पर आते हुए, हमें ऐसा लगता है कि धारा 33(0) में "विनियमन" शब्द में यह निर्धारित करने की शक्ति शामिल होगी कि सार्वजनिक सड़क पर एक बैठक आयोजन से कुछ दिन पहले लिखित अनुमति ली जानी चाहिए। धारा 33(0) के तहत सभी बैठकों या जुलूसों को प्रतिबंधित करने वाला कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह धारा इस आधार पर आगे बढ़ती है कि जनता को सड़कों पर और उसके किनारे सभा और जुलूस आयोजित करने का अधिकार है, हालांकि यह आवश्यक है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसी सभाओं या जुलूसों का गठन करने वाले व्यक्तियों के आचरण और व्यवहार या कार्रवाई को विनियमित करना। शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, "रेगुलेट" शब्द का अर्थ है, "नियंत्रित करना, शासन करना", या नियम या विनियम द्वारा प्रत्यक्ष; मार्गदर्शन या प्रतिबंधों के अधीन"। आक्षेपित किए गए नियम बैठकों के आयोजन पर रोक नहीं लगाते हैं, बल्कि केवल यह निर्धारित करते हैं कि अनुमति ली जानी चाहिए, हालांकि यह नहीं बताया गया है कि किस आधार पर अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है। हम इस पहलू से थोड़ी देर बाद निपटेंगे।"

25. हिम्मत लाल के मामले को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि "विनियमित करें" शब्द में निषेध करने की शक्ति शामिल नहीं होगी। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 केवल अस्थायी आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है जो उसके बनने से 2 महीने से अधिक नहीं रह सकती (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(6) देखें)। उच्च न्यायालय को यह बताए जाने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने कहा:

"कानून की स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जहां तक संहिता की धारा 144 का संबंध है, हम याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलों को स्वीकार करते हैं। हालांकि, केवल इस आधार पर पुलिस आयुक्त की ओर से पूरी कार्रवाई गैरकानूनी या उसके अधिकार क्षेत्र से परे नहीं कही जा सकती है।" प्रथम दृष्टया, हम आश्वस्त हैं कि संहिता की धारा 144 के तहत लागू अधिसूचना एक निश्चित विचार के साथ जारी की गई थी और विचार यह था कि इस शर्त को जोड़ने के संबंध में ईटिंग हाउस/रेस्तरां चलाने वाले व्यक्तियों के लाइसेंस तुरंत सही प्रभाव दिया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों को लगा कि ईटिंग हाउस/रेस्तरां में केवल एक शर्त जोड़कर कि ईटिंग हाउस/रेस्तरां में हुक्का उपलब्ध न कराया जाए, हुक्का उपलब्ध कराने की गतिविधि को रोकना मुश्किल होगा। पुलिस आयुक्त द्वारा दायर जवाब में हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि शहर में व्याप्त ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए और जो शर्त लाइसेंस में जोड़ी गई थी, उसके अनुपालन के संबंध में निरंतर सतर्कता और निगरानी रखना बहुत मुश्किल था, पुलिस आयुक्त ने संहिता की धारा 144 लागू करना उचित समझा।

एक पल के लिए मान लें कि कोड की धारा 144 के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में अधिसूचना जारी करने में अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त की कार्रवाई कानून में स्वीकार्य नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालाँकि हमें इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखती है, लेकिन

एक पल के लिए मान लें कि यह अवैध और अमान्य पाया जाता है, तो उच्च न्यायालय इसके तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक हित में इसे परेशान करने से इनकार कर सकता है। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय विवेकाधीन प्रकृति का है और किसी भी मामले में, भले ही ऐसा हो। याचिका में चुनौती दी गई कार्रवाई या आदेश अनुचित और अमान्य पाया जाता है, तो उच्च न्यायालय अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने से इनकार कर सकता है।"

26. हम उपरोक्त तर्क को समझने में असमर्थ हैं। यदि धारा 144 लागू की जाती है, तो 14 जुलाई, 2011 का आदेश उसके 2 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून का संचालन करते समय उसमें संयम बरतना चाहिए। समानता के साथ और यदि न्यायसंगत स्थिति की मांग है, तो उच्च न्यायालय अपने कर्तव्य में विफल रहेगा यदि वह तदनुसार राहत नहीं देता है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि समता का एक सिद्धांत यह है कि समता कानून का पालन करती है। यदि कानून स्पष्ट है, तो समता की कोई भी धारणा उसका स्थान नहीं ले सकती। हमारा स्पष्ट मानना है कि 2 दिसंबर, 2011 का गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला न केवल हमारे समक्ष अपीलों में दिए गए बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए बल्कि यहां ऊपर बताए गए कारणों के लिए भी रद्द किए जाने योग्य है।

27. उपरोक्त शर्तों के तहत सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

कल्पना के.त्रिपाठी

अपीले स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।